BEFORE THE NATIONAL GREENT TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH BHOPAL

Original Application No.97/2022 (CZ)
IA No.48/2023

Kamal Tiwari

Versus

Union of India and Others

I N D E X

S.No.	Particulars	Page No
1.	Reply to the OA On behalf of the Respondent No.23	1–7
2.	Affidavit in support of The Reply	8
3.	**Documents**	
Ann.1	Lease Deed of RIICO	9–18
Ann.2	MSME Registration	19
Ann.3	Certificate/Consent Dated 23.6.2016	20–21
Ann.4	Registration & License to work Factory Dated 5.3.2021	22
Ann.5	SSI Certificate	23
Ann.6	Copy of GST Certificate	24–26
4.	Affidavit in support of Documents	27

Place
Dated: /8/2023

Counsel for the Respondent No.23
(SHIV NARAYAN BOHRA/ISKANDH SHARMA)
ADVOCATES

/

BEFORE THE NATIONAL GREENT TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH BHOPAL
***

Original Application No.97/2022 (CZ)
IA No.48/2023

Kamal Tiwari

Versus

Union of India and Others

Reply on behalf of the Respondent No.23 (Oswal Transformers Private Limited)

MAY IT PLEASE THIS HON'BLE TRIBUNAL

Humble respondent No.23 submit reply as under: -

1. That the humble respondent has been made party in the aforesaid OA in compliance of the Order dated 25.7.2023 whereby IA for impalement of violators as party has been allowed.

2. That the present OA has been filed inter-alia seeking relief to stoppage of non forest activities, illegal

construction upon forest land, illegal plotting, leveling of forest land and not to discharge untreated effluents and industrial waste in Khasra No.3 and 10 of Nahargarh Wildlife Sanctuary and Eco Sensitive Zone.

3. That application for impleading as party respondent appears to have been filed by the applicant without verifying the facts so far as the humble respondent is concerned.

The humble replying respondent No 23 is a private limited company and manufacturer of Transformer which is completely an assembling unit where a transformer is manufactured using core lamination, winding wire (Aluminum and copper) doing its business at plot no G-678 Industrial Area RIICO. It is important to mention here that answering respondent do not have any discharge from their manufacturing

unit/Industry in the form of solid, liquid or gas which could not affect any human being environment or wild life sanctuary. There is no pollution of any kind in this whole process. Apart from this, it is further important to mention that due to this work of answering respondent, there is no danger of any kind of pollution to Narhargarh wild life Sanctuary. The answering respondent further made every possible effort not to violate any kind of act and notifications issued by the state Government and Government of India also. As far as water pollution is concerned, draining even a single drop of dirty water does not spoil from the business premises of answering respondent.

The humble respondent was leased out the Industrial Plot No. G-678 by the RIICO on 13.08.1991 and thereafter the

4

respondent set up the industry and commenced business on 08.10.1992. Respondent was registered as Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) on 12.3.2021. The Respondent was issued certificate/consent dated 23.6.2016 to operate industry issued by pollution control board, Jaipur (Raj)which clearly state that answering respondent industry is a Green Category industry. Government of Rajasthan issued Registration and License to work a Factory under the prescribed rule-5 on 05.03.2021 which is valid up to march 2026, Certificate of SSI registration issued by Government of Rajasthan (District Industries Centre), Certificate of GST Registration Certificate issued by Govt. of Rajasthan dated 21.1.2020. Photostat Copy of the Lease Deed, MSME Registration, certificate/consent to operate industry issued by pollution

control Board Jaipur dated 23.6.2016, Copy of Registration and License to work a factory issued by Government of Rajasthan Dated 05.3.2021, Copy of SSI registration Certificate, Photocopy of the GST Certificate is filed and marked as **Annexure R-1 to R-6** respectively.

6. That unit of answering respondent is not discharging of untreated effluents in Nahargarh Wildlife Sanctuary. The unit of the humble respondent is located at a distant place from the Sanctuary and also a green category unit.

7. That the contents of the OA as stated in Para No.1 to 21 are denied for want of knowledge being not related with the answering respondent No 23 except Para No.3 thereof.

8. That so far as contents of Para No.3 is concerned, it is submitted that the Government of India has issued Gazette Notification on 8.3.2019 by which Eco Sensitive Zone of Nahargarh Wildlife Sanctuary got declared, which cannot be given effect retrospectively. The humble respondent No 23 is running his industry under requisite permission / license / consent of the State Government much prior to the said notification. No new industry has been established by the humble respondent nor expanded of existing industries nor permitted to it within the boundaries of Eco Sensitive Zone. The humble respondent is not discharging any untreated effluent from the unit. The applicant may be directed to submit strict proof to substantiate the allegation of discharging untreated effluent in the Sanctuary.

9. That the aforesaid submissions sufficiently controvert the averments made by the applicant for impleding the respondent as violator / party and as such it is in the interest of justice to consider the same as reply and accordingly dismiss the OA against the respondent.

It is, therefore, most humbly prayed that aforementioned reply may kindly be accepted and taken on record and answering respondent No 23 is further state not doing any non forest activities, and not to discharging untreated effluents and industrial waste in Wildlife Sanctuary and Eco Sensitive Zone and accordingly the OA may kindly be dismissed with costs.

Yours' Humble Respondent
Through Counsel

{Shiv Narayan Bohra, Iskandh Sharma}
Advocates
Enrolment No. R/465/1994
Mobile No. 94140-74734 76658-37411
Email: advocatesnbohra1969@gmail.com

8

BEFORE THE NATIONAL GREENT TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH BHOPAL
Original Application No.97/2022 (CZ)
IA No.48/2023

Kamal Tiwari

Versus

Union of India and Others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF REPLY

I, Moti Lal Choraria s/o Late Shri Mangilal Choraria aged 66 years, Director of the Oswal Transformers PVT Ltd Through Authorization do hereby take oath and state as under: -

1. That being authorized signatory of the respondent No.23 I am well conversant with the facts and circumstances of the case and am competent to swear this affidavit.
2. That annexed reply has been drafted by the counsel under my instructions which is true and correct to the best of my knowledge and belief based on office record and legal advice.

(Deponent)

VERIFICATION

I, the above-named Deponent do hereby verify that the aforesaid affidavit is true and correct to the best of my knowledge, belief and I have not suppressed any material therein, so help me GOD.

(Deponent)

OATH COMMISSIONER GAUTAM RAJ JAIN ADVOCATE RJ

ATTESTED
OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT

26 AUG 2023

S.P. No. R343=00

Annexure 1

9

फार्म 'सी'

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

जयपुर (राज.)

पट्टा समझौता

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर

S.P. = Rs. 12,343/- प्रतिवर्ष

भूखण्ड संख्या G 678

यह पट्टा समझौता आज, दिन Tuesday 13/8/91 ई० को एक हजार नौ सो ..... ई० को राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि०, जयपुर, जो कि एक नियमित निकाय है एवं भारतीय कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर 302005 में है (जिसे आज के बाद से पट्टेदार के नाम से पुकारा जायेगा एवं यह अभिव्यक्ति जब तक इसके अंश प्रतिकूल न हों, उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों के लिए ग्राह्य होंगे।

प्रथम पक्ष एवं

श्री ..... सुपुत्र ..... उम्र .....

निवासी ..... इकहरे स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान .....

के स्वामी है।

अथवा

श्री मोती लाल जोहरिया सुपुत्र स्व० भौंरी लाल जोहरिया उम्र वर्ष

निवासी 28 तिलक नगर स्टेशन रोड जयपुर

श्री किशोर कुमार बोद सुपुत्र कन्हैया लाल बोद उम्र वर्ष

निवासी 60 सूरज नगर पश्चिम सिविल लाइन जयपुर

श्री श्रीमति सुमन डफरी सुपुत्र अशोक डफरी उम्र 26 वर्ष

निवासी 28 तिलक नगर स्टेशन रोड जयपुर

श्री ..... सुपुत्र ..... उम्र .....

निवासी .....

श्री ..... सुपुत्र ..... उम्र .....

निवासी .....

पंजीकृत साझा प्रतिष्ठान मेसर्स ओसवाल ट्रांसफार्मरस के भागीदार है

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

Assistant Site Engineer
RIICO LTD.
V.K.I.A., JAIPUR.

प्रथमा

.....प्रतिष्ठान है जो सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय .....में है।

प्रथमा

.....है जो सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है जिसे आज के बाद में .....पुकारा जायेगा एवं जो अभिव्यक्ति या, यदि संदर्भ इस अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसके .....निष्पादक, उत्तराधिकारी एवं अनुज्ञप्त समनुदेशिती, द्वितीय पक्ष के बीच तैयार किया गया जिसमें .....राजस्थान राज्य ..... पट्टेदार (राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि०) का औद्योगिक क्षेत्र की स्थापनार्थ भूमि आवंटित की है एवं पट्टेदार ने (जिसमें उपरोक्त भूमि को औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु भूखण्डों में विभाजित किया है। इनमें प्रत्येक भूखण्ड समुचित पौर-प्रतिष्ठान एवं अन्य उपयुक्त संस्था द्वारा अनुमोदित भवन निर्माण योजना एवं फैक्ट्री उपनियम के अनुसार उद्योगों की स्थापना के लिए उद्योगियों को आवंटित की जायेगी,

और जिसमें भूखण्ड संख्या G 678 .....को, जिसे आज के बाद से .....के नाम से जाना जायेगा, पट्टेदार ने पट्टे पर देने की एवं पट्टाधारी ने पट्टे पर लेने की सहमति व्यक्त की है। इसके नियम एवं शर्तों के अनुसार इस औद्योगिक क्षेत्र .....के अन्तर्गत पट्टाधारी के समुचित पौर-प्रतिष्ठान एवं अन्य उपयुक्त संस्था के द्वारा अनुमोदित डिजाईन और भवन निर्माण योजना के अनुसार .....उत्पादन के लिए एक औद्योगिक इकाई की स्थापना करेगा।

पट्टा समझौता का स्वरूप :

इस सहमति एवं समझौते के अनुसार पट्टेदार पट्टाधारी के द्वारा विकास शुल्क के रुपये ₹1960=00 अंके रु०.....एवम् वार्षिक आर्थिक किराये के रु० 250=00 अंके रु०.....) आज्ञा की प्राप्ति की स्वीकृति देता है। इसके अनुसार पट्टेदार .....औद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत भूखण्ड संख्या G 677 .....जिसका क्षेत्रफल 1032 .....है, हो सकता है कुछ कम हो या अधिक पट्टाधारी को सौंपता है। इस भूखण्ड की चौहद्दी निम्नानुसार है :—

उत्तर में ..... Plot No G 679

दक्षिण में ..... Plot No - G - 677

पूर्व में ..... Road .....

पश्चिम में ..... Plot No. G C83

Assistant Site Engineer
RIICO LTD
V.K.I.A, JAIPUR

इस उपरोक्त भूखण्ड को सुस्पष्ट रेखांकित संलग्न योजना पत्रक में अनुचिह्नित है तथा लाल निशान से "रोका हुआ" अंकित है। उपरोक्त भूखण्ड को आज से "आवंटित" जाना जायेगा जो अनुलग्नकों के साथ पट्टाधारी को .../.../19 ..... से निम्नानुसार वर्षों के लिए आवंटित किया जाता है, लेकिन निम्न अधिकार सदैव पट्टेदार एवं इसके उत्तराधिकारी तथा समनुदेशितों के पास सुरक्षित रहेंगे :

(अ) पट्टेदार एवं इसके समनुदेशित उत्तराधिकारियों के द्वारा आवश्यक समझा जाने पर औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित भूमि के ऊपर या नीचे से जल निकास/आपूर्ति के लिए नाली/नालों या बिजली तारों को लगाने का अधिकार

(आ) आवंटित भूमि के परिसर या किसी अन्य में जमीन के ऊपर या नीचे पाये जाने वाले किसी खान या खनिज पर पूर्ण अधिकार

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

Assistant Site
RIICO
V.K.I.A.

(ङ) प्रत्येक वर्ष अप्रेल महीने के तीसरे दिन आवंटित भूखण्ड की अधिम वहली की अधिकतम दर के पार निगम के पास प्रत्येक पांच वर्ष में आवंटित दी दर के परिशोधन का अधिकार रहेगा परन्तु उस समय के किराये की दर से बढ़ोतरी इस प्रकार से की जावेगी, जिससे कि (पांच) वर्ष की परिसमाप्ति के पश्चात् अधिक नहीं होगी। किराये की प्रभावी दरें निगम के द्वारा निर्धारित की जावेगी एवं आवंटी के लिए निर्णायक एवं बन्धनकारी होगी और इस बारे में निगम के किसी भी कचहरी में या किसी अन्य स्थान पर प्रश्न नहीं किया जा सकेगा।

आगे शर्त यह है कि यदि पट्टाधारी ने राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंकों से आवंटित परिसर एवं इस पर स्थित भवन एवं अन्यादि निर्माण के संबंध पर किसी प्रकार का विकास ऋण ले रखा हो तो पट्टेदार का प्रथम दावा राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम, आई.डी.बी.आई. या आई.सी.आई.सी.आई. एल.आई.सी. या अनुसूचित बैंक के दावे के आगे गौण हो जायेगा यदि राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या अनुसूचित बैंक ने अपने बन्धक प्रपत्र में कोई विशेष शर्त यह शर्त रखी हो कि इनमें से किसी भी शर्त (पट्टा सम्बन्धी) की अवहेलना को बन्धक शर्त की अवहेलना माना जायेगा।

आगे शर्त यह है कि उपरोक्त धारा इस आवंटित भूमि के विक्रय निर्माणों पर लागू नहीं होगी जिसे निगम ने "किराया खरीद" आधार पर दिया हो। इस हालत में राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम आई.डी.बी.आई. या आई.सी.आई.सी.आई. या एल.आई.सी. या अनुसूचित बैंक के पक्ष में भूमि एवं भवन पर द्वितीय दावा एवं बन्धक तथा बन्धकादि पर प्रथम दावा उसके द्वारा लिए हुए किसी भी विकास ऋण पर प्रस्तुत कर सकेगा।

पट्टाधारी या पट्टेदार के प्रति उत्तरदायित्व :

2. (अ) यह कि पट्टाधारी उन समस्त पौर कर, प्रभार एवं हर प्रकार के देयों भुगतानों को वहन करेगा अदा करेगा एवं खारिज करेगा जो उपरोक्त अवधि में पट्टेदार के द्वारा निर्धारित किया जायेगा, प्रमानित किया जायेगा; उगाही की जायेगी या अधिरोपित किया जायेगा।

(आ) यह कि पट्टाधारी उन समस्त सेवा शुल्क, पथ अनुरक्षण प्रभार, पथ प्रकाशन शुल्क, हरा संवर्धन शुल्क एवं दूसरे अनुषांगिक शुल्क को वहन करेगा, अदा करेगा एवं खारिज करेगा जो औद्योगिक क्षेत्र के अनुरक्षण के लिए उपरोक्त अवधि में पट्टेदार के द्वारा निर्धारित किया जावेगा, प्रमानित किया जायेगा; उगाही की जायेगी या अधिरोपित किया जायेगा।

(इ) यह कि पट्टाधारी और प्रतिष्ठान या विभागाध्यक्ष या सम्बन्धित अन्य प्राधिकारी सरकारी या अर्धसरकारी एवं अन्य निकाय स्वीकार करेगा तथा ये नियम ही क्षेत्र विशेष प्रबन्ध सम्पत्ति पर भी लागू होंगे जहां तक उनका इस क्षेत्र में रहने वाले दूसरे निवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा पर प्रभाव का सम्बन्ध है।

(ई) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर में अभिन्यास योजना, उन्मेष एवं विन्यास के अनुसार रचनाकार्य करेगा और कार्यविधि ऐसी होगी जिसे पट्टेदार एवं उसके स्थानीय प्राधिकरण विधिवत रूप से अनुमोदित करे। ये औद्योगिक इकाईयां, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, समस्त आवश्यक यांत्रिकल उपकरण एवं विकास संयंत्र एवं अन्य अनुलग्नकों से युक्त भौतिक कार्यकौशल के अनुरूप हो जैसा कि भवन, मशिनरी, जलाशय एवं सीवर से इनको जोड़ने के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकरण के नियम एवं उपनियम में वर्णित है। पट्टाधारी छः महीने की अवधि में इस प्रकार का रचना कार्य आरम्भ कर देगा एवं उस प्रकृतिसार की तिथि से बारह महीनों में रचनाकार्य या पट्टेदार की इच्छा से अवधि बढ़ाने की लिखित रूप से अनुमति प्राप्त कर बढ़ाई गई अवधि में रचना कार्य पूर्ण कर उत्पादन के लिए तैयार कर देगा।

17.7.92

(उ) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर एवं इस निर्मित भवन को, हर समय अच्छी तरह सुरक्षित एवं पूर्ण मरम्मत एवं

Assistant Site Engineer
RIICO LTD
V.K.I.A., JAIPUR.

For Oswal Transformers

Partner

For Oswal Transformers

Partner

For Oswal Transformers

Partner

(ङ) यह कि पट्टाधारी समय विशेष पर आवंटित परिसर में पट्टेदार एवं स्थानीय प्राधिकरण की लिखित में पूर्वानुमति के बिना तथा तत्सम्बन्धित अनुमति शर्तें एवं पट्टेदार तथा स्थानीय प्राधिकरण से अनुमोदित मानचित्र के बिना उक्त भवन में किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन न तो करेगा न ही करने की अनुमति देगा साथ ही आवंटित परिसर में न तो किसी नए भवन का निर्माण करेगा न ही निर्माण करने की अनुमति देगा और इस प्रकार की शर्त एवं लेखाचित्र की अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को इस प्रकार का कार्य करने की सूचना पर तत्काल ही उपरोक्त अवहेलना को सुधारेगा, और यदि पट्टाधारी इस प्रकार की सूचना पाने के बाद एक कैलेन्डर महीने के अन्दर अवहेलना को सुधारने में उपेक्षा बरतेगा तो पट्टेदार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार की अवहेलना की पट्टाधारी के खर्चे पर सुधार करवाये और पट्टाधारी एतद्वारा सहमत होगा की जो खर्चे पट्टादार/स्थानीय पौर-प्राधिकरण, जैसे भी स्थिति हो, इस हेतु निर्धारित करेगा, उसे वह पट्टादार/स्थानीय प्राधिकरण को अदा करेगा और पट्टादार/स्थानीय प्राधिकरण, स्थिति जैसी भी हो, का निर्णय अन्तिम होगा ।

(ए) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार/स्थानीय प्राधिकरण की संतुष्टि के अनुरूप आवंटित भूमि में बनाये जाने वाले भवन तक सरकारी सड़क/निगम की सड़क से उप-सड़क बनवायेगा तथा नाली के आर-पार ढक्कन का निर्माण करेगा एवं इसके रख-रखाव की देखभाल करेगा ।

(ऐ) यह कि पट्टाधारी इन नियमों एवं शर्तों को तथा पट्टेदार एवं स्थानीय पौर प्राधिकरण के द्वारा अधिरोपित किये जाने वाले नियमों एवं शर्तों को मद्देनजर रखकर तथा लिखित रूप में पट्टेदार और स्थानीय पौर-प्राधिकरण की पूर्वानुमति के बिना आवंटित परिसर में उपरोक्त औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा न तो स्वयं किसी प्रकार का आपत्तिजनक व्यापार या व्यवसाय करेगा न ही किसी अन्य को इस प्रकार का कार्य करने की अनुमति देगा तथा न तो किसी धार्मिक उद्देश्य के लिए स्वयं उपयोग करेगा न ही किसी अन्य को ऐसा करने की अनुमति देगा तथा आवंटित परिसर में अथवा इसके किसी हिस्से में न तो कोई ऐसा कार्य करेगा न करने की अनुमति देगा जो पट्टेदार या स्थानीय पौर प्राधिकरण या पड़ौस के परिसरों के मालिकों अथवा कब्जेदारों के लिए क्षोभ (कष्टक) क्षति, विरिक्ति या असुविधा का कारण हो या इन्हें पैदा करे ।

(ओ) यह कि पट्टाधारी पट्टेदार के बिना लिखित पूर्वानुमति के अपनी मर्जी से आवंटित परिसर या उसमें स्थित भवन या दोनों का हस्तांतरण नहीं करेगा, दर किरायेदारी पर नहीं देगा, त्यागेगा नहीं, बंधक नहीं रखेगा या किसी और को नहीं सौंपेगा और इस प्रकार के समस्त हस्तांतरण, औरों को सौंपना, त्याग, बंधक या दर किरायेदारी या दोनों ही इस समझौते में निहित नियम एवं शर्तों से बद्ध होंगे तथा इन सारे मामलों में पट्टेदार के प्रति उत्तरदायी होंगे और पट्टाधारी, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, पट्टेदार की अनुमति के बावजूद भी आवंटित परिसर को पूरे के अलावा आंशिक रूप में किसी और को नहीं सौंपेगा, त्याग नहीं करेगा, बंधक नहीं रखेगा, दर किरायेदारी पर नहीं देगा, हस्तांतरण नहीं करेगा या अलग नहीं होगा या मीटर अथवा चरों से या अन्य किसी तरीके से पुनर्विभाजित नहीं करेगा । इस भूमि पर पूर्व वर्णित योजनानुसार उद्योग की स्थापना हेतु पट्टाधारी इस आवंटित परिसर के आधार पर कब्जा दिये बगैर इसके स्वामित्व को राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या आ० डी० बी० आई० या आई०सी०आई०सी०आई० या एल०आई०सी० या अनुसूचित बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए या प्राप्त किए हुए ऋण की खातिर बंधक रख सकेगा लेकिन उपरोक्त धारा 1 (इ) की दूसरी शर्त के मुताबिक यह पट्टेदार के पूर्व कार्यभार के अधीन होगा ।

यह कि यदि किसी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या उपरोक्त अन्य कोई भी वित्तीय संस्था पट्टाधारी के द्वारा ऋण अथवा ऋणों को लेते समय किए गए किसी करार के मुताबिक बंधक रखे गये आवंटित परिसर को परिसमापित या लेन, बेचने, पट्टे पर देने या किसी अन्य को सौंपने का निर्णय करे या समय विशेष की किसी वसीयत के मुताबिक बेचने, पट्टे पर देने या अन्य को सौंपने की बात करे तो वह पट्टेदार एवं उपरोक्त वित्तीय संस्थान अथवा संस्थाओं के बीच आपसी विचार के आधार पर ही होगा ।

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

Assistant Site Eng
RIICO LTD
M.I.A. JAIPUR

यह कि यदि स्वीकृत अवधि के दौरान उक्त परिसर को सौंप जाने के कारण या, मृत्यु के कारण या कानूनी कार्यवाही के कारण या किसी अन्य कारण से समनुदेशन, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण होता है तो पट्टेदार को एतद्द्वारा इस बात की अनुमति दी जाती है कि वह इस प्रकार के समनुदेशन, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तान्तरण की तिथि एक कैलेण्डर महीने के अन्दर समनुदेशन, उत्तराधिकार प्रदान या हस्तांतरण सूचना पट्टेदार को पार्टियों के नाम एवं समनुदेशन के समस्त ब्यौरा ऐसे सम्बन्धित विलेख एवं प्रभाव के साथ और इसके साथ ही इस सूचना के साथ दिए गए समनुदेशन के सारे प्रमाण, वसीयत या प्रशासन पत्र डिक्री, आदेश, प्रमाणिकता या दूसरे दस्तावेज या किसी प्रकार के प्रमाण, उत्तराधिकार या हस्तांतरण को प्रभावित करें या प्रमाणित करें, प्रस्तुत करेंगे और उपरोक्त दस्तावेज जो उक्त सूचना के साथ भेजे जायेंगे, पट्टेदार के कार्यालय में कम से कम सात दिनों तक रहेंगे और एतद्द्वारा इस नियम का प्रावधान किया जाता है कि इस नियम की अवहेलना किए जाने की स्थिति में पट्टेदार को अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना इस पट्टा समझौता की अवहेलना का निर्णय करने का अधिकार होगा और नियम भंग के कारण पट्टाधारी को रु० 500/–रु. जुर्माना भरना होगा।

(घ) यह कि पट्टाधारी कारनामें की अवधि के दौरान पट्टेदार के सदस्य, अधिकारी एवं सहायक को एवं उनके द्वारा नियुक्त कारीगर एवं अन्य व्यक्तियों को निरीक्षण के हेतु समय-समय पर या हर उचित मौके पर आवंटित परिसर या उसमें बनने वाले भवन के अन्दर या बाहर प्रवेश की अनुमति देगा।

(ङ) यह कि पट्टाधारी आवंटित परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार का गड्ढा नहीं बनायेगा (सिवाय भवन की नींव एवं भूमि को समतल बनाने के) न ही किसी पत्थर, स्टैण्ड, बजरी, मिट्टी या अन्य किसी भी वस्तु को हटायेगा।

(च) यह कि पट्टाधारी पालतू मवेशी, कुत्ते, मुर्गी या अन्य किसी जीव-जन्तु के लिए पट्टेदार से तत्सम्बन्धित लिखित आदेश प्राप्त किए गए बगैर किसी भी प्रकार का तबेला, छप्पर या अन्य कोई निर्माण कार्य न तो करेगा न करने की अनुमति देगा।

(छ) यदि आग, तूफान, बाढ या किसी सैनिक आक्रमण/विद्रोह या किसी बेकाबू भीड के कारण आवंटित परिसर की किसी महत्वपूर्ण वस्तु का पूर्ण अथवा आंशिक नुकसान हो या वह स्थायी अथवा अस्थायी तौर पर निर्माण कार्य के लिए अयोग्य हो जाए तो पट्टाधारी न तो अपने स्तर/अपनी इच्छा पर पट्टे का निर्णय करेगा न ही पट्टेदार को क्षतिपूर्ति हेतु जिम्मेदार बनायेगा।

(ज) यह कि पट्टाधारी उपरोक्त परिसर के अधिग्रहण के दिन से अठारह कैलेण्डर महीनों के अन्दर भवन का निर्माण पूरा करवा लेगा तथा भवन के साथ आवंटित परिसर को कार्य हेतु तैयार कर लेगा और उसे किसी भी स्थिति में समझौते की तारीख से चौबीस महीनों के अन्दर यह कार्य सम्पन्न कर लेना होगा यदि पट्टेदार स्थिति को पट्टाधारी के नियंत्रण से बाहर समझकर अपनी इच्छा से समय में बढोतरी करे।

की शेष अवधि में उत्पादन शुरू होने तक लिखित

यह कि आवंटित भूखण्ड को प्रत्यावर्तित हो जायेगा/जाएंगे यदि उत्पादन आरम्भ करने, इकाई का परिवर्धन करने के लिए निर्धारित/वर्धित समय समाप्त हो जाता है।

(ट) यदि पट्टे की अवधि के दौरान पट्टाधारी या उसके कारीगर या नौकर।

1. आवंटित भूमि में सन्निहित या समीपवर्ती किसी भवन अथवा किसी अन्य निर्माण के किसी भी अंश को नुकसान पहुंचाएंगे अथवा नष्ट करेंगे,

2. किसी आधारभूत सुरंग अथवा दूसरी लाईनों को आवंटित परिसर में खुला या अनावृत रखेंगे जिससे सन्निहित या समीपवर्ती किसी भवन को क्षति पहुंचेगी अथवा कोई भवन नष्ट होगा या

For Oswal Transformers

Authorised Signatory

For Oswal Transformers

Partner

For Oswal Transformers

Partner

For Oswal Transformers

Partner

For

Assistant Site Engine
RIICO LTD.
V.K.I.A., JAIPUR.

3. जीव के पास कोई मुद्दा खोदेगे जिससे किसी भवन को क्षति पहुचेगी, या भवन नष्ट होगा को [illegible] को इस प्रकार से हुई क्षति के लिए क्षतिपूर्ति देनी होगी जिसका निर्धारण पट्टेदार करेगा। पट्टेदार, [illegible] इस प्रकार के आदेश प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर पंच (न्यायाधीश) के पास अपील (याचिका) कर सकता है और यदि पट्टेदार ने ऐसा करना पसन्द किया तो वह पंच (न्यायाधीश) के फैसले को मानने के लिए बाध्य होगा।

(घ) यदि पट्टेधारी पंजीकृत साझेदारी में हो या बिना पंजीकृत पट्टेधारी में हो या कम्पनी हो या सहकारी समिति हो और इसे पुनर्गठित किया जाता हो अथवा इसका समापन किया जाता हो तो पट्टाधारी के उत्तराधिकारी अपने हित में इस प्रकार के पुनर्गठन अथवा समापन के 60 दिन के अन्दर पट्टेदार के साथ बन्धनकारी अनुबन्ध में आ जायेंगे और पट्टा समझौता के समस्त शर्त, नियम, अनुबन्ध, प्रावधान एवं समझौतों को मानेंगे और निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इसकी अवहेलना की स्थिति में पट्टेदार को समझौते के बारे में निर्णय करने का अधिकार होगा।

यदि आवंटित परिसर में स्थित उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम या किसी अन्य वित्तीय संस्था से वित्तीय सहायता दी गई हो तो इस धारा के अन्तर्गत वर्णित "निर्णय लेने का अधिकार" का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा तथा उपरोक्त वित्तीय संस्था इस बात का निर्णय करेगी कि वह बंधक परिसम्पत्ति को अपने अपने कब्जे में ले ले या बेच दे या पट्टे पर दे दे या किसी को सौंप दे ऐसा वह/वे समझौते के द्वारा पट्टेदार से प्राप्त अधिकारों के आधार पर या समय विशेष के किसी कानून के द्वारा कर सकेंगे।

(ङ) यदि पट्टेधारी पंजीकृत है अथवा बिना पंजीकृत साझेदारी है अथवा कोई सहकारी समिति है तथा इसे विघटित कर दिया जाता है और इसके विघटन के साठ दिन के अन्दर हित को ध्यान में रखकर यदि उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता है तो उस समझौते के निर्णय का अधिकार पट्टेदार को होगा। इन प्रस्तुतियों के आधार पर पार्टियों के द्वारा आपस में निम्नलिखित सहमति की भी घोषणा की जाती है।

पट्टाधारी को अपनें परिसर में [illegible] पेड़ लगाने होंगें।
पट्टाधारी को निगम की सिफारिश पर एक व्यायामशाला बनानी होगी

3. [illegible] कदाचित पट्टेदार की निगाह में इस समझौते में वर्णित किसी भी नियम अथवा शर्त की अवहेलना पट्टाधारी अथवा उसके किसी व्यक्ति के माध्यम से की जाती अथवा उपधारा के सामान्य कथन के प्रति बिना किसी विशेष प्रतिकूल प्रभाव के उसके द्वारा ऐसी हरकत की जाती है अथवा उसमें पायी जाती है, पट्टाधारी पूर्ण सम्पत्ति के बजाए आंशिक रूप में इसका हस्तान्तरण करता है, खाली करता है, बंधक रखता है या सौंपता है या पट्टेदार से लिखित में पूर्वानुमति प्राप्त किए बगैर पूरे आवंटित परिसर का हस्तांतरण करता है खाली करता है, बंधक रखता है या सौंपता है जैसा कि इस समझौते में पहले ही धारा 2 (ऐ) के उपबन्ध में वर्णित है या यदि पट्टाधारी पूर्व वर्णित शर्त के अनुरूप भवन निर्माण प्रारम्भ करने में एवं पूर्ण करने में असमर्थ रहता है या पट्टेदार का किराया बाकी रहता है या धारा 4 में वर्णित किस्त का कोई हिस्सा, धारा (2) में वर्णित सेवा शुल्क बकाया रहता है और इनके जमा करने की अवधि की समाप्ति के 90 दिन बाद तक पट्टेदार को उनकी अदायगी नहीं होती है या यदि पट्टाधारी को अथवा उन व्यक्तियों को जो शर्तों के प्रति उत्तरदायी है, दिवालिया घोषित कर दिया जाता है या यदि पहले बताए गए मुताबिक इस समझौते का निर्णय किया जाता है तो धारा (2) (ऐ) के प्रावधानों के अनुसार पट्टेदार को यह अधिकार होगा इस (इस समझौते में किसी प्रकार की अवहेलना की स्थिति में किसी अन्य कार्यवाही के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना) कि न्यायालय की मदद लिए बगैर आवंटित भूमि के किसी हिस्से पर या पूरी भूमि पर कब्जा कर ले और फिर यह आवंटन पूर्णतया रद्द हो जायेगा और निर्णीत हो जायेगा और इन प्रस्तुतियों के द्वारा पट्टाधारी के द्वारा दिए गए रुपय पट्टेदार के द्वारा जब्त कर लिए जायेंगे और अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना पट्टेदार पट्टाधारी से सारा रुपया.....12%.....सेकडा सालाना ब्याज की दर से वसूल करेगा और पट्टाधारी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार नहीं होगा।

पट्टाधारी को निगम की निर्धारित ब्याज दर देनी होगी
पट्टाधारी को अवहेलना की सभी शर्तें मानना होगी

Assistant Site Engineer
RIICO LTD

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

For Oswal Transformers
Partner

Assistant Site
RIICO

15

यह कि पट्टाधारी को सदैव यह छूट होगी कि सारी बकाया रकम, किराया और उपकर सहित तक किराया समस्त पौर कर एवं दूसरे कर और सेवा शुल्क जैसे संरक्षण शुल्क सहित उपरोक्त अन्य शुल्क तथा समस्त क्षतिपूर्ति और पट्टेदार के बाकी रकमों को चुकता कर आवंटित परिसर के सारे भवन एवं रचना कार्य में लगे हुए सामान तथा दूसरी वस्तुएं ले जाएं। आवंटित परिसर वस्तुएं पट्टाधारी को पट्टेदार के निर्णय के तीन महीने के अन्दर हटा लेनी होंगी। यदि पट्टाधारी ऐसा करने में अक्षम हुआ तो आवंटित परिसर का भवन एवं अन्य निर्माण कार्य होगा और पट्टाधारी को इस बाबे का कोई अधिकार नहीं होगा कि वह पट्टेदार से उन्हें समय तक जमा किये गए अपने रुपयों की मांग करे या आवंटित भूमि पर की गयी संरचना अथवा सामानों के लिए क्षतिपूर्ति की मांग करे।

यह कि पुनर्प्रवेश एवं निर्णय का यह अधिकार लागू नहीं होगा यदि आवंटित परिसर में स्थापित उद्योग को राज्य सरकार या भारतीय औद्योगिक वित्त निगम या राजस्थान वित्त निगम, आई० डी० बी० आई०, आई० सी० आई० सी० आइ०, एल० आई० सी० या अनुमोदित बैंक के द्वारा वित्त प्रदान किया गया हो और उपरोक्त वित्तीय संस्था पट्टेदार द्वारा समझौते के भंग होने की सूचना मिलने के 90 दिनों के अन्दर इसका निदान प्रस्तुत कर दे।

(आ) समझौतों/शर्तों के भंग होने के सम्बन्ध में समस्त कानूनी कार्यवाहियां जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जा सकेंगी, अन्यत्र कहीं भी नहीं।

(इ) तत्काल आवंटित परिसर पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी के भंग होने के कारण यदि पट्टेदार को किसी प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा तो पट्टेदार को उसे पट्टाधारी से वसूल करने का हक होगा।

(ई) यदि पट्टेदार की ओर से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पावती सहित रजिस्ट्री द्वारा कोई नोटिस पट्टाधारी के नाम भेजा जाता है तो उसे यथेष्ट रूप से कार्य सम्पादन के हेतु माना जायेगा और जिस समय वह रजिस्ट्री पत्र सामान्य तरीके से वितरित कर दिया जायेगा और यदि वह पट्टाधारी की अस्वीकृत अथवा किसी अन्य कारण से लौट आयेगा तो भी उसे आवश्यक सेवाओं की पूर्णता मान लिया जायेगा। पट्टेदार के द्वारा किए गए किसी भी निर्णय को उपरोक्त विधि से सम्पादित किया जायेगा।

(उ) औद्योगिक इकाई के व्यावसायिक रूप से उत्पादन शुरू कर देने के बाद पट्टाधारी के द्वारा आवेदन करने पर आवंटन के आवेदन के साथ जमा जमानती रकम लौटायी जायेगी।

(ऊ) पट्टा समझौता में वर्णित किसी भी नियम का किसी भी समय उल्लंघन होने पर जमानत की रकम (जब्त) मानी जायेगी।

(ए) इस पट्टा समझौते में वर्णित अधिकारों का प्रयोग राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि० के प्रबन्ध निदेशक अथवा इसके लिए अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों के द्वारा किया जायेगा।

यह कि उक्त "प्रबन्ध निदेशक" में शामिल उस व्यक्ति से होगा जिसे प्रबन्ध निदेशक के समान कार्यों के अधिकारों के साथ पट्टेदार नियुक्त करता है।

Assistant Site Engineer
RIICO LTD
M.K.I.A., JAIPUR

(ऐ) इस समझौते या तत्सम्बन्धित विषय में उठाया गया कोई भी झगड़ा, मतभेद या प्रश्न उस जिले के समाहर्ता (कलक्टर) के समक्ष या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष पूर्ण विचार के लिए प्रस्तुत किया

For Oswal Transformers

Partner

भूमि शेष पट्टे पर दी गई भूमि स्थित है। इस प्रकार के पंच (न्यायाधीश) का फैसला पार्टियों के लिए बन्धनकारी होगा।

(सी) इस समझौते की स्टाम्प टिकट एवं पंजीयन शुल्क के खर्च पट्टाधारी के द्वारा वहन किए जाएंगे। एतद्द्वारा पक्षकारों ने आज Tuesday सन् उन्नीस सौ 91 के August मास की तारीख 13th को उनके नियमित लेख को प्रस्तुत किया।

Assistant Site Engineer
राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रीयल डवलपमेंट
& इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लि०
RIICO, JAIPUR

हस्ताक्षर

गवाह :

नाम .....

पता .....

(1)

(2)

पट्टाधारी

नाम M/s Oswal Transformers
Partners :-

(1) For Oswal Transformers
Partner

पता .....

(2) For Oswal Transformers
Partner

(3) For Oswal Transformers
Suman Daftary
Partner

17

मंगलवार 13 माह 8 सन् 91

को 4 बजे 5 बजे के मध्य श्री मोती लाल

पुत्र भांगी लाल उम्र 35 वर्ष जाति ओसवाल

व्यवसाय व्यापार निवासी 32 विवेक नगर

स्टेशन रोड जयपुर

ने मेरे समक्ष प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता

हस्ताक्षर उप पंजीयक
जयपुर द्वितीय

7337/91

537.00

स्टाम्प शुल्क 500.00

प्रतिलिपि शुल्क 20.00

पृष्ठांकन शुल्क

अन्य शुल्क 56.00

दिनांक 13/8/91 योग

उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय

उक्त श्री मोती लाल (2) किशोर कुमार
पु० कन्हैया लाल उम्र 34 वर्ष जाति ओसवाल
पेशा व्यापार निवासी 30 सूरज नगर पश्चिम
सिविल लाइन्स जयपुर (3) श्रीमती सुमन डफ्तरी
पु० अशोक डफ्तरी उम्र 35 वर्ष जाति जैन
पेशा व्यापार निवासी 32 विवेक नगर स्टेशन
रोड जयपुर एवं (4) श्री निर्मल युगलिया

पु० श्री मोती लाल जी

पेश पत्र को पढ़ सुन व समझकर उक्त
निष्पादन करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

(1) श्री अशोक डफ्तरी
पुत्र श्री शुभकरण
उम्र 35 वर्ष जाति जैन
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्टेशन
बसन्त डफ्तरी
शुभकरण उम्र 62 वर्ष
जैन व्यवसाय व्यापार
निवासी उप पंजीयक ने की है।

जयपुर

B.K. Daftary

उप पंजीयक, जयपुर द्वितीय

R. 105/
24/9/91

2187 I

33 66
24-9-91

I
125 37 441-452

भारत सरकार
Government of India
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

UDYAM
REGISTRATION CERTIFICATE

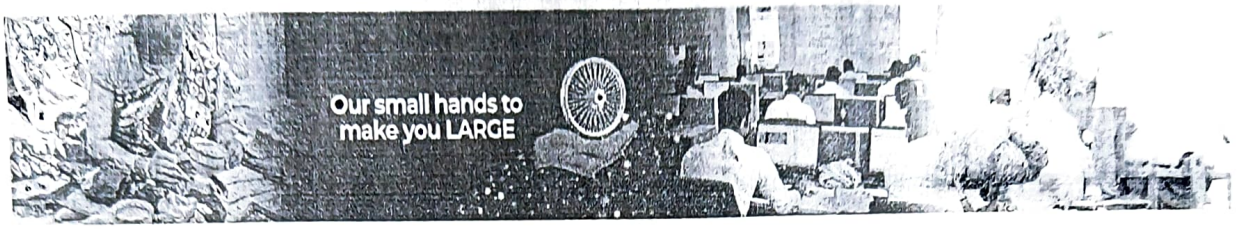

TYPE OF ENTERPRISE	MEDIUM MANUFACTURING
UDYAM REGISTRATION NUMBER	UDYAM-RJ-17-0055495
NAME OF ENTERPRISE	M/S OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
SOCIAL CATEGORY OF ENTREPRENEUR	General

NAME OF UNITS

SNo.	Udyog Aadhaar Memorandum	Units Name
1	RJ17A0018615	OSWAL TRANSFORMERS PVT LTD

OFFICAL ADDRESS OF ENTERPRISE

Flat/Door/Block No.	G 678	Name of Premises/ Building	OSWAL TRANSFORMERS PVT LTD
Village/Town	VKI AREA	Block	0001
Road/Street/Lane	9F2	City	JAIPUR
State	RAJASTHAN	District	JAIPUR , Pin 302013
Mobile	9414061562	Email:	oswaltrfs@gmail.com

DATE OF INCORPORATION / REGISTRATION OF ENTERPRISE	08/10/1992
DATE OF COMMENCEMENT OF PRODUCTION/BUSINESS	08/10/1992

NATIONAL INDUSTRY CLASSIFICATION CODE(S)

SNo.	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit	Activity
1	27 - Manufacture of electrical equipment	2710 - Manufacture of electric motors, generators, transformers and electricity distribution and control apparatus	27102 - Manufacture of electric power distribution transformers, arc-welding transformers, fluorescent ballasts, transmission and distribution voltage regulators	Manufacturing

DATE OF UDYAM REGISTRATION	12/03/2021

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from https://udyamregistration.gov.in

For any assistance, you may contact:

1. DIC JAIPUR URBAN
2. MSME-DI JAIPUR

BE A CHAMPION with the Ministry of MSME

Visit : www.msme.gov.in ; www.dcmsme.gov.in ; www.champions.gov.in

Follow us @minmsme & @msmechampions

Annx 3

Rajasthan State Pollution Control Board

4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

Phone: 0141-5159600 Fax: 0141-5159600

Registered

ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Ack)/Jaipur(Jaipur(VKIA))/12(1)/2016-2017/3866-3867

Order No : 2016-2017/Acknowledgement Cell/5189

Date : 23/06/2016

From :
Group Incharge[Acknowledgement Cell]
Rajasthan State Pollution Control Board,
4, Institutional Area, Jhalana Doongari, Jaipur-302 004

To,

M/s Oswal Transformers Pvt.Ltd.,
R/o 202, Galaxy Plaza, A-15,

1. We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 22/06/2016 of your application dated 17/06/2016 for **Consent to Operate** for (project / process / activity name) **Power & Transformers** under section of 25 of the **Water(Prevention & Control of Pollution) Act,1974** having capital cost of the project Rs. 40.01 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. **4,500.00** and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as **Consent to Operate**, of the State Board under **section of 25 of the Water(Prevention & Control of Pollution) Act,1974** to Consent to Operate your industry at **G-678, Road No. 9-F-2, Vishwakarma Industrial Area, Tehsil:Jaipur(VKIA) District:Jaipur** and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, so long as the unit modifies / changes its processes provided that :

1. This acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) 1986.
2. The acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
3. The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument by the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
4. The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit to make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
5. The Industry falls under **Green Category - All those Industries/ projects/** processes/ activities which are not covered under the list of Red or Orange or Green category and are discharging waste water and or air emissions as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Part-96 Dated 07/03/2013.

Specific Condition :

1. That this consent is granted on the basis of documents uploaded online by the applicant/ project proponent. If any submitted document is found wrong on verification then this consent shall be revoked immediately

2. That this acknowledgement for consent is valid only for manufacturing of transformers.

21

This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Group Incharge[Acknowledgement Cell]

Copy To

1. Regional Officer, Regional Office, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur(N)

Group Incharge[Acknowledgement Cell]

Form-4
(Prescribed under rule-5)
Government of Rajasthan

396

Annex/4
22

सत्यमेव जयते

REGISTRATION & LICENCE TO WORK A FACTORY

Registration No.:- RJ/23449

Fees Rs.:- 4100/- per year

Application No.:- R-63019/CIFB/2021

Licence is hereby granted to M/S OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED valid only for the premises described below for use as factory employing not more than 20 persons on any day during the year and using motive power not exceeding 119 HP subject to the provisions of the Factories Act,1948 and the rule made there under.

This licence shall remain in force till the 31st day of March 2026

Date:- 05/03/2021

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग सत्यमेव जयते राजस्थान

Chief Inspector of Factories and Boilers
Rajasthan, Jaipur

Description of the licensed premises

M/S OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED

The licenced premises shown on Plan No. PJ-292/DYCIFB/6364. Date 15/10/1998 are situated in G-678, VISHWAKARMA INDUSTRIAL AREA, JAIPUR AND , JAIPUR and consist of TRANSFORMER MFG. AND REPAIRING. ..

Date of Renewal	Date of Expiry	Signature of Licensing Authority
05/03/2021	31/03/2026	Dy. Chief Inspector , Jaipur

This is a computer generated certificate and bears scanned signature. No physical signature is required on this license. You can verify this license by visiting www.rajfab.rajasthan.gov.in and entering Application No /ID after clicking the link for verification on the page

Annexure 23

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

District Industries Centre, Jaipur (Urban)

MICRO

ACKNOWLEDGEMENT

Part-II

1. M/S. OSWAL TRANSFORMERS (P) LTD. HAS FILED MEMORANDUM FOR A MANUFACTURING/SERVICE ENTERPRISE AT THE ADDRESS G-678, ROAD NO. 9F2, VKI AREA, JAIPUR FOR THE ITEM/ITEMS INDICATED BELOW AS PER THE FACTS STATED IN FORM NO. 6817 AND ALLOCATED ENTREPRENEURS' MEMORANDUM NO. AS BELOW:

2. DETAILS OF ITEM/ITEMS TO BE MANUFACTURING/SERVICE TO BE PROVIDED.

Sr. No.	Item of Manufacture/ type of service to be rendered	Capacity in case of manufacture	Initial date of production/ commencement of service
1.	POWER & DISTRIBUTION TRANSFORMERS	4000 Nos	08-10-1992

3. DETAILS OF PLANT AND MACHINERY AS PER DATE-WISE INVESTMENT

Sr. No.	Investment in Plant and Machinery/Equipments	Date of Investment
1	Rs 18,00,000/-	15-01-1992 TO 2003

4. NOTE: THE ISSUE OF THIS ACKNOWLEDGEMENT DOES NOT BESTOW ANY LEGAL RIGHT. THE ENTERPRISE IS REQUIRED TO SEEK REQUISITE CLEARANCE/LICENCE/PERMIT REQUIRED UNDER STATUTORY OBLIGATION STIPULATED UNDER THE LAWS OF CENTRAL GOVERNMENT/STATE GOVERNMENT/UT ADMINISTRATION/ COURT ORDERS.

5. DATE OF CHANGE OF CATEGORY FROM MICRO/SMALL TO SMALL/MEDIUM OR VICE VERSA.

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
-	-	-	-	-	-	-	-

6. DATE OF ISSUE

D	D	M	M	Y	Y	Y	Y
0	4	0	5	2	0	1	1

7. NATURE OF ACTIVITY (MANUFACTURING-1, SERVICES-2) — 1

8. CATEGORY OF ENTERPRISE (MICRO-1, SMALL-2, MEDIUM-3) — 1

9. ENTREPRENEURS MEMORANDUM NO.

0	8	0	1	2	1	1	0	6	8	1	7	PART-II

संयुक्त निदेशक, जिला उद्योग केन्द्र, जयपुर शहर, राजस्थान सरकार

Date: 04/05/2011
Place: Jaipur

NOTE-This Acknowledgement has been issued in lieu of the permanent registration No. D-13/09666/2007/167 dated 8.12.92 issued earlier by this office.

महाप्रबन्धक
Signature
WITH OFFICE SEAL
जिला उद्योग केन्द्र जयपुर शहर

नोट - दिनांक 11/7/11 को इकाई के आग्रह पर एमोलेजमेन्ट पार्ट-II में Unit-II का इजाफा निम्न प्रकार किया गया -

Address - F-787, Road No. 13, VKIA, Jaipur

Name of Product	Installed Annual Capacity
Electric Cable & Conductor	- 3000 KMS.
Wire Winding	- 200 MT

Investment- Land, Building, P&M - ON RENT

Date of Production - 10/05/2011

398

Annexure 6 (Amended)

24

सत्यमेव जयते

Government of India

Form GST REG-06

[See Rule 10(1)]

Registration Certificate

Registration Number :08AAACO5806D1ZQ

1.	Legal Name	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED				
2.	Trade Name, if any	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED				
3.	Constitution of Business	Private Limited Company				
4.	Address of Principal Place of Business	G-678,, ROAD NO. 9F2, V.K.I AREA,, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan. 302013				
5.	Date of Liability	01/07/2017				
6.	Date of Validity	From	01/07/2017	To	Not Applicable	
7.	Type of Registration	Regular				
8.	Particulars of Approving Authority	Rajasthan Goods and Services Tax Act, 2017				

Signature

Name	RAM PRASAD VERMA
Designation	Deputy Commissioner
Jurisdictional Office	Circle-E, Jaipur
9. Date of issue of Certificate	21/01/2020

Note: The registration certificate is required to be prominently displayed at all places of Business/Office(s) in the State

This is a system generated digitally signed Registration Certificate issued based on the approval of application granted on 21/01/2020 by the jurisdictional authority.

सत्यमेव जयते

Annexure A

25

Details of Additional Place of Business(s)

GSTIN	08AAACO5806D1ZQ
Legal Name	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED

Total Number of Additional Places of Business(s) in the State 2

Sr. No.	Address
1	KHASRA NO. 42, OSWAL TRANSFORMERS PVT LTD UNIT II, BEED JAISALYA V.K.I. AREA, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan, 302013
2	L-12, RAMESHWAR DHAM W SIKAR ROAD RAMALYAWALA, JAIPUR, Jaipur, Rajasthan, 302013

सत्यमेव जयते

Annexure B

26

GSTIN	08AAACO5806D1ZQ
Legal Name	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED
Trade Name, if any	OSWAL TRANSFORMERS PRIVATE LIMITED

Details of Managing / Whole-time Directors and Key Managerial Persons

1

Name	MOTI LAL CHORARIA
Designation/Status	DIRECTOR
Resident of State	Rajasthan

2

Name	RAJENDRA KUMAR SHARMA
Designation/Status	DIRECTOR
Resident of State	Rajasthan

3

Name	ALOK TATER
Designation/Status	DIRECTOR
Resident of State	Rajasthan

BEFORE THE NATIONAL GREENT TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH BHOPAL

Original Application No.97/2022 (CZ)
IA No.48/2023
Kamal Tiwari

Versus

Union of India and Others

AFFIDAVIT IN SUPPORT OF THE DOCUMENTS

I, Moti Lal Choraria s/o Late Shri Mangilal Choraria aged 52 years, Director of the Oswal Transformers PVT Ltd Through Authorization do hereby take oath and state as under: -

1. That being authorized signatory of the respondent No.23 I am well conversant with the facts and circumstances of the case and am competent to swear this affidavit.

2. That annexed documents Annexure R1 to R5 is true and correct Photostat copy of the original / office copy.

(Deponent)

VERIFICATION

I, the above-named Deponent do hereby verify that the aforesaid affidavit is true and correct to the best of my knowledge, belief and I have not suppressed any material therein, so help me GOD.

(Deponent)

Identified by

OATH COMMISSIONER
GAUTAM RAJ JAIN
ADVOCATE
RAJ. HIGH COURT, JAIPUR

ATTESTED

OATH COMMISSIONER
RAJASTHAN HIGH COURT
JAIPUR BENCH, JAIPUR

VAKALATNAMA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BENCH, BHOPAL

Original Application No. 97/2022 (CZ)
IA No. 48/2023

Kamal Tiwari
Versus
Union of India & Others

Know all men by these presents that I/we the undersigned MR. MOTILAL CHORARIA. Son of Shri LATE MANGILAL CHORARIA, Resident of DIRECTOR, OSWAL TRANSFORMERS Pvt Ltd C-678, VKIA AREA JAIPUR,

in the above case do hereby make, constitute and appoint **Mr. Shiv Narayan Bohra, Iskandh, Advocates**, my/our true and lawful attorneys, for my/our name, and on my/our behalf to appear plead and act in the said case, and more particularly to draw, make, present, withdraw, amend represent and verify petition, plaints or written statements and to make, present applications or petition in the court, to present, withdraw and receive documents and any money from the court or form the opposite party either in execution of the decree of otherwise, and on receipt of payment thereof to sing and deliver for me/us proper receipts and discharges for the same, to compromise or to refer the case to arbitration, to seek execution of the decree or any orders in the case, to draw, make present, withdraw, amend and represent any memorandum of appeal or cross objections in any appeal arising or to seek reviews or revision of any judgments, decree or order in the case, to appear, conduct and plead in all such writ/appeals/revisions and reviews, and to do all other lawful acts and things as effectually as I/we could do the same whether being personally present or otherwise, my/our said counsel is/are also hereby authorized and empowered to instruct, engage or appoint any other any other counsel or counsels to appear, plead and act with or for him/them in his/their absence or otherwise as my/our said counsel my think proper to do so, all acts of such counsel or counsels shall be equally and similarly and binding on me/us as if done be my/our said counsel and as if done by me/us personally. I/we hereby agree that if any part of the said counsel's fee remains unpaid before the first hearing of the case or if any hearing of the case be fixed on tour or at any other place except the usual court premises ,then my/our said counsel will not be bound to appear before the count. The counsel's fee now settled and agreed to is in respect of this court and for the pending proceeding only. Any fresh action hereafter taken will entitle the counsel to fresh fees I/we also agree that if the case be dismissed in default or it be proceeded ex-party under any circumstances whatsoever the said counsel shall not be held responsible for the same and all whatsoever my/our said counsel shall do in connection with the said case, I/we do hereby agree to ratify and confirm .any costs awarded in the case at any time in my/our favour shall from part of the counsel's claim and shall be payable to him/them in addition to his/their fees in the case.

IN WITNESS WHEREOF I/we have hereto set my /our hand(s)
at JAIPUR the 26-8-2023 day of _____ and delivered to the said counsel(s)

COUNSEL(s)

Shiv Narayan Bohra, Advocate
Enr. No. R/465/1994
Mob. 9414074734
E-mail: advocatesnbohra1969@gmail.com

CLIENT (s)

1. _____

2. _____

Gmail Shiv Narayan Bohra <advocatesnbohra1969@gmail.com>

Copy Of Reply in The Case Of Kamal Tiwari vs Union Of India and Others in OA : 97/2022

1 message

Shiv Narayan Bohra <advocatesnbohra1969@gmail.com> Sat, Aug 26, 2023 at 6:01 PM
To: NGT/ Adv Krishan Sharma <advocatekrishna@gmail.com>

Dear sir,
Please find attached copy of the reply on behalf of respondent number:23 (Oswal Transformers Private Limited)

--
Thanks & Regards,
S.N.Bohra
(Advocate Rajasthan High Court, Jaipur)
Mob. No: - 9414074734

reply of OA 97 2022 for respondent no.23 Oswal tranformers private limited (1).pdf
7502K